डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 01/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआईसीएलएएस/सी/कोलकाता/सीपी-I/2021-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 01/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 20 अप्रैल, 2022

सेवा	**: कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता में प्रदान की जाने वाली कार्गो टर्मिनल प्रचालन (सीटीओ) सेवाओं के लिए 20.04.2022 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

पृष्ठभूमि:

1. एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "एएआईसीएलएएस" कहा गया है) भारत में विमानन कार्गो कारोबार कर रही है। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एएआई ने अपने कार्गो विभाग को अलग करके 11.08.2016 को इसे प्रकार्यात्मक रूप से और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र संगठन "एएआईसीएलएएस" के रूप में निगमित कर सम्मिलित किया है । एएआई और एएआईसीएलएएस के बीच एनएससीबी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता सहित एएआई के हवाईअड्डों पर कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए 01.04.2017 को रियायत करार किया गया था।

2. एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र द्वारा कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली सीटीओ सेवाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एटीपी के साथ-साथ एमवाईटीपी प्रस्तुत किया और प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह एमवाईटीपी में प्रस्ताव किए अनुसार सीटीओ सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ अनुमोदित करे।

प्राधिकरण की जांच :

3. प्राधिकरण ने दिनांक 31.12.2020 के आदेश संख्या 60/2020-21 द्वारा एएआईसीएलएएस, कोलकाता के लिए "प्राइस केप अप्रोच" के अंतर्गत प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए कार्गो और संबद्ध सेवाओं (टीएसपी/ विलंब शुल्क (डेमरेज) प्रभार) के लिए टैरिफ अनुमोदित की, क्योंकि विनियमित सेवा "मटीरियल और प्रति स्पर्धी नहीं" समझी गई।

4. प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान में एएआईसीएलएएस एनएससीबी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता में कार्गो सेवाएं प्रदान करने वाली एकमात्र सेवा प्रदाता है।

5. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआईसीएलएएस कोलकाता हवाईअड्डे पर पहले से ही सामान्य कार्गो सेवाएं प्रदान कर रही है और उसने इन सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए टैरिफ के लिए अनुमोदन प्राप्त किया हुआ है। प्राधिकरण ने एएआई हवाईअड्डे (चैन्नई हवाईअड्डा) और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले ऐसे अन्य हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली कार्गो सेवाओं की समीक्षा की जहां ऐसी सेवाएं प्रदान की जा रही है। अन्य हवाईअड्डों पर समान प्रकार की कार्गो सेवाओं की टैरिफ की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण एएआईसीएलएएस को कोलकाता हवाईअड्डे पर उनकी सीटीओ सेवाओं के लिए **20.04.2022 से 31.03.2024** तक की प्रथम नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए या सीटीओ सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ टैरिफ वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय करता है।

6. एएआईसीएलएएस, कोलकाता के संबंध में सीटीओ सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार ट्रू-अप की जाएगी।

7. एएआईसीएलएएस ऐरा (सीजीएफ) दिशा-निर्देश, 2011 के अनुपालन में सीटीओ सेवाओं सहित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) के साथ-साथ अगली नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुत करेगी।

आदेश

रिकॉर्डो में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल प्रचालनों (सीटीओ) के लिए **20.04.2022 से 31.03.2024** तक की अवधि या सीटीओ सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है (**संलग्नक-I**)

(ii) प्राधिकरण यह भी निर्णय करता है कि एएआईसीएलएएस, कोलकाता के संबंध में सीटीओ सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ट्रू-अप की जाएगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ सीटीओ सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चि करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

1. **श्री अजय भारद्वाज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड,
बेलमेन हैंगर –1, हैंगर बिल्डिंग,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

2. **हवाईअड्डा निदेशक,**
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
एनएससीबी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
कोलकाता -700052

प्रतिलिपि:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003.